क्रमांकः एफ.3(18)एचजेयू/लेखा/वित्त समिति (सप्तम्)/2024–25/3398 दिनांक : 26/9/2

वित्त समिति की सप्तम् बैठक दिनांक 26.09.2024 का कार्यवाही विवरण

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम 2019 की धारा 29 के अन्तर्गत गठित विश्वविद्यालय के वित्त समिति की सप्तम् बैठक दिनांक 26.09.2024 को 11:30 बजे कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में वित्त समिति के उपस्थित पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	उपस्थित पदाधिकारी का नाम	पदनाम
1.	प्रो. सुधि राजीव	कुलपति एवं अध्यक्ष वित्त समिति, एचजेयू, जयपुर
2.	श्री मंयक शुक्ला	कोषाधिकारी, जयपुर (शहर) एवं सदस्य (प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि संभागीय आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित) वित्त समिति, एचजेयू, जयपुर
3.	श्रीमती अलका सक्सेना	अतिरिक्त निदेशक, सूचना और जनसम्पर्क विभाग एवं सदस्य (प्रमुख शासन सचिव, सूचना और जनसम्पर्क विभाग द्वार नामनिर्देशित) वित्त समिति, एचजेयू, जयपुर
4.	डॉ. आलोक श्रीवास्तव	विशेष आमंत्रित सदस्य, एचजेयू, जयपुर
5.	प्रो. अनिल कुमार राय	प्रबंध मंडल द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद् सदस्य, वित्त समिति एचजेयू, जयपुर
6.	डॉ. सत्येन्द्र बसवाल	वित्त नियंत्रक एवं सदस्य सचिव, वित्त समिति, एचजेयू, जयपुर
7.	श्री भंवर लाल मेहरड़ा	विशेष आमंत्रित सदस्य, कुलसचिव एचजेयू, जयपुर

आरंभ में सदस्य सचिव द्वारा समस्त आंगतुक पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय की प्रगति एवं भावी योजनाओं को समाहित करते हुए उद्बोधित किया गया। बैठक में कार्यसूची पर बिन्दुवार विस्तृत विचार–विमर्श किया गया :

HJU

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

वित्त समिति की सप्तम् बैठक दिनांक 26.09.2024 की अनुपालना रिपोर्ट :–

सप्तम् बैठक कार्यवृत्त

एजेंडा संख्या	कार्य का संक्षिप्त विवरण	निर्णय / टिप्पणी
7–1	**वित्त समिति की षष्ठम् बैठक दिनांक 13.09.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदनः–** विश्वविद्यालय की वित्त समिति की षष्ठम् बैठक दिनांक 13.09.2023 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से षष्ठम् बैठक के कार्यवृत की पुष्टि की गई एवं उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया तथा इसमें निहित बिन्दु संख्या 6–15 (2) अ,ब,स, के पुनरीक्षण प्रस्ताव पर चर्चा की गई तथा इस बिन्दु से संबंधीत प्रस्ताव को BOM में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
7–2	**विश्वविद्यालय के वर्ष 2023–24 के प्रमाणित वार्षिक लेखों का अनुमोदन :–** विश्वविद्यालय के वर्ष 2023–24 के वार्षिक लेखे दीपेन्द्र एण्ड कम्पनी द्वारा तैयार किये गये एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म कौशिक सारस्वत जैन एंड कम्पनी द्वारा प्रमाणित किये गये। प्रमाणित लेखे परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–	वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से वर्ष 2023–24 के प्रमाणित वार्षिक लेखों का अनुमोदन किया गया।

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	मद	दिनांक 01.04.2023 को प्रारम्भिक राशि	प्राप्त राशि वर्ष 2023–24	कुल प्रावधान राशि वर्ष 2023–24 (3+4)	2023–24 में व्यय राशि	31.03.2023 को अंतिम शेष राशि (5–6)	शिड्यूल नम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	संवेतन व गैर संवेतन	205.19	600.00	805.19	744.75	60.44	08–12
4.	पूंजीगत	222.64	1900.00	2122.64	1900.00	222.64	23B
	कुल योग	427.83	2500.00	2927.83	2644.75	283.08	

वर्ष 2023–24 में विभिन्न स्त्रोतों से विश्वविद्यालय की आय निम्नानुसार हैः–

राजीव गांधी विद्याभवन | Rajiv Gandhi Vidya Bhawan
सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग | Sarvepalli Radhakrishnan Shiksha Sankul
जयपुर 302 017 (राजस्थान) | JLN Marg, Jaipur 302 017 (Rajasthan), India
+91 141 2710123 | registrar.hju@gmail.com | www.hju.ac.in

HJU, A UNIVERSITY ESTABLISHED BY AN ACT OF THE RAJ. STATE LEGISLATURE, IS A NATIONAL CENTRE FOR TEACHING, TRAINING AND RESEARCH IN JOURNALISM, MASS COMMUNICATION AND ALL
पत्रकारिता, जनसंचार और संबंधित विषयों के शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध के लिए राजस्थान विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय संस्थान

D/Vitt smittI new /

क्रसं.	मद	विवरण/ शिड्यूल नम्बर	राशि
4.	Fee/ subscription	3	4027041.00
5.	Interast in Current Bank A/C	6	906837.00
6.	Other income (tendar fees/ Sale Of Old News Paper,Recruitment fees)	7	86605.00
	कुल योग		5020483.00

संवेतन/गैर संवेतन मद अन्तर्गत कुल व्यय राशि रू 744.75 लाख का हुआ है जो (Schedule 8–12 एवं Schedule 9 पर अवलोकनीय) इसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:–

कुल व्यय 770.32 लाख (संवेतन/गैरसंवेतन में 744.75 लाख Schedule 8–12 एवं स्थाई सम्पति में 25.56 लाख में Schedule 20) जिसका आय–व्ययक खाते व पीडी खातें से मिलान कर लिया गया है।

विश्वविद्यालय के Balance Sheet (Statement Of Affairs) 2023&24 के अनुसार विश्वविद्यालय की Fixed Assets राशि रु. 99,93,017/– (शिड्यूल 20 पर अवलोकनीय) एवं Current Assets (शिड्यूल 23A पर अवलोकनीय) के अनुसार राशि रु. 4,83,77,681.00/– है।

विश्वविद्यालय के प्रमाणित वार्षिक लेखे वर्ष 2023–24 अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैं।

7–3 **विश्वविद्यालय के चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के संशोधित अनुमान तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक अनुमान अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है:–**

वित्त (व्यय–1) विभाग द्वारा आयोजित बजट निर्णायक समिति की बैठक दिनांक 03.01.2024 में प्रस्तुत संशोधित बजट 2023–24 एवं आय–व्ययक बजट 2024–25 के विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव व निर्णायक समिति में सहमत प्रस्तावों का विवरण निम्नानुसार है–

(राशि लाखों में)

बजट मद	स्वीकृति प्रावधान वर्ष 2023–24	संशोधित अनुमान 2023–24		आय–व्ययक अनुमान 2024–25	
		विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव	BFC में सहमति	विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव	BFC में सहमति

वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के संशोधित अनुमान तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक अनुमान का एवं बी.एफ.सी मिनट्स का अनुमोदन किया गया।

	2202–03–102–14(12) गैर संवेतन	400.00	400.00	400.00	1008.22	390.00
	2202–03–102–14(92) संवेतन	400.00	400.00	400.00	468.60	490.00
	4202–01–203–09–01–(17) वृहदनिर्माण कार्य (पूँजीगत)	1900.00	1900.00	1900.00	1092.00	1092.00
	कुल योग	2700.00	2700.00	2700.00	2568.82	1972.00

गैर संवेतन मद के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के दिन–प्रतिदिन के नियमित खर्चों के अलावा नवीन मद के व्यय भी सम्मिलित है।

उपर्युक्तानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक अनुमान एव बी.एफ.सी. मिनिट्स अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

7–4	**डॉ नीलम उपाध्याय, उपकुलसचिव को दिये गये मकान किराया भत्ता भुगतान का अनुमोदन :–** कार्यालय आदेश कमांक 5407 दिनांक 27.10.2023 द्वारा प्रोफेसर नीलम उपाध्याय, उपकुलसचिव को दिये गये मकान किराया भत्ता भुगतान संबंधी आदेश का अनुमोदन।	वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से **डॉ नीलम उपाध्याय, उपकुलसचिव को किये गये मकान किराये के भुगतान** का अनुमोदन किया गया।
7–5	**विश्वविद्यालय में तकनीकी तथा शैक्षणिक विषयों के शिक्षण के लिए एड्जंक्ट फैकल्टी की सेवाएं –** **एड्जंक्ट प्रोफेसर–** राज्य सरकार की स्वीकृति कमांक प.16(3) शिक्षा–4/2022/00176 पार्ट फाईल (2). दिनांक 15.03.2024 के अनुसरण में कार्यालय आदेश कमांक 7059 दिनांक 15.03.2024 द्वारा डॉ. तबीना अंजुम को एड्जंक्ट फेकल्टी की भूमिका एवं दायित्व के संबंध में एक वर्ष अथवा नियमित पदों पर नियुक्ति होने तक विस्तारित किए जाने संबंधी प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से **विश्वविद्यालय में तकनीकी तथा शैक्षणिक विषयों के शिक्षण के लिए एड्जंक्ट फैकल्टी की सेवाएं** लिये जाने का अनुमोदन किया गया।
7–6	**विश्वविद्यालय में अशैक्षणिक पद पर सेवानिवृत कार्मिक के पुनर्नियुक्ति संबंधी आदेशों का अनुमोदन–** 1. विश्वविद्यालय की राज्य सरकार से प्राप्त पद स्वीकृतियों के मद्देनजर माननीय कुलपति के अनुमोदन अनुरूप एवं कार्यालय आदेश	वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से **विश्वविद्यालय में अशैक्षणिक पद**

	क्रमांक 17749 दिनांक 22.11.2023 द्वारा सहायक कुलसचिव के रिक्त पद के विरूद्ध लिया गया था। उक्त आदेश की निरन्तरता में आदेश क्रमांक 5661 दिनांक 24.11.2023, श्री राजेश तन्खा, को आगामी आदेश तक Stop Gap Arrangment के अन्तर्गत विस्तारित किये जाने के आदेश अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। 2. विश्वविद्यालय की राज्य सरकार से प्राप्त पद स्वीकृतियों के मद्देनजर प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति पश्चात माननीय कुलपति के अनुमोदन अनुरूप एवं कार्यालय आदेश क्रमांक 20294 दिनांक 16.03.2023 द्वारा कैशियर (कनिष्ठ लिपिक) के रिक्त पद के विरूद्ध, श्री हरिशंकर शर्मा, को 1 वर्ष अथवा कार्मिक उपलब्ध होने तक या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने में से जो भी पहले हो, के लिए पुनर्नियुक्ति किये गये थें। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 03568 दिनांक 15.03.2024 के अनुसारण में एवं कुलपति महोदया के अनुमोदन पश्चात कार्यालय आदेश क्रमांक 7160 दिनांक 19.03.2024 द्वारा 1 वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति किये जाने के आदेश अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। 3. विश्वविद्यालय की राज्य सरकार से प्राप्त पद स्वीकृतियों के मद्देनजर प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति क्रमांक 00198 दिनांक 26.06.2024 पश्चात माननीय कुलपति के अनुमोदन अनुरूप एवं कार्यालय आदेश क्रमांक 2363 दिनांक 30.07.2024 द्वारा स्टेनोग्राफर के रिक्त पद के विरूद्ध, श्री मुरारी लाल शर्मा, को 1 वर्ष अथवा कार्मिक उपलब्ध होने तक या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने में से जो भी पहले हो, के लिए पुनर्नियुक्ति किये जाने के आदेश का अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। 4. विश्वविद्यालय की राज्य सरकार से प्राप्त पद स्वीकृतियों के मद्देनजर प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति क्रमांक 2024–03427 दिनांक 13.03.2024 पश्चात माननीय कुलपति के अनुमोदन अनुरूप एवं कार्यालय आदेश क्रमांक 7027 दिनांक 14.03.2024 द्वारा निजि सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध, डॉ. भगवान सहाय पंचौली, को 1 वर्ष अथवा कार्मिक उपलब्ध होने तक या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने में से जो भी पहले हो, के लिए पुनर्नियुक्ति किये जाने के आदेश का अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। 5. विश्वविद्यालय की राज्य सरकार से प्राप्त पद स्वीकृतियों के	पर सेवानिवृत कार्मिक के पुनर्नियुक्ति संबंधी पॉचो आदेशों का अनुमोदन किया गया।

	मद्देनजर प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति कमांक प. 16(1)शिक्षा–4/2019 पार्ट–1 दिनांक 01.06.2023 पश्चात माननीय कुलपति के अनुमोदन अनुरूप एवं कार्यालय आदेश कमांक 5957 दिनांक 20.12.2023 द्वारा वरिष्ठ लिपिक के रिक्त पद के विरूद्ध, श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, को 1 वर्ष अथवा कार्मिक उपलब्ध होने तक या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने में से जो भी पहले हो, के लिए पुनर्नियुक्ति किये जाने के आदेश का अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	
7–7	**विश्वविद्यालय में प्राप्त की गई सलाहकार एवं परामर्शी सेवाओं संबंधी प्रस्ताव :–** (1) **विश्वविद्यालय की शैक्षणिक सलाहकार** – प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति पश्चात कार्यालय आदेश क्रमांक 233 दिनांक 18.04.2023 द्वारा डॉ. विवेक को शैक्षणिक सलाहकार के रूप में एक वर्ष के लिए परामर्शी सेवाएं प्राप्त करने के लिए अनुबंधित किया गया था। उक्त समसंख्यक आदेश के निरन्तरता में आपसी सहमति से कार्यालय आदेश कमांक 171 दिनांक 09.04.2024 द्वारा यह अवधि एक वर्ष के लिए विस्तारित करने के आदेश अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से **विश्वविद्यालय में प्राप्त की गई सलाहकार एवं परामर्शी सेवाओं संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन** किया गया।
7–8	**विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षान्त समारोह में किये गये खर्चों का अनुमोदनः–** विश्वविद्यालय के **द्वितीय** दीक्षान्त एवं नवीन भवन के लोकार्पण समारोह दिनांक 29.06.2024 को आयोजित किया गया जिसके संबंध में विश्वविद्यालय स्तर पर निम्न खर्चे किये गये– (1) **गोल्ड मेडल बनवाने हेतुः–** भुगतान स्वीकृति आदेश कमांक 2432 दिनांक 01.08.2024 द्वारा भुगतान राशि रू 35,130 भुगतान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। (2) **राज्यपाल अभिभाषण, निमंत्रण पत्र एवं गेट पास छपवाने हेतुः–** भुगतान स्वीकृति आदेश कमांक 2432 दिनांक 01.08.2024 द्वारा भुगतान राशि रू 48085 भुगतान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। (3) **पचरंगी एवं चुनडी साफा (बंधे बंधाये) हेतुः–** भुगतान स्वीकृति आदेश कमांक 2432 दिनांक 01.08.2024 द्वारा भुगतान राशि रू 19400 भुगतान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। (4) **मंच संचालन हेतुः–** भुगतान स्वीकृति आदेश कमांक 2432	वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से **विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षान्त समारोह में किये गये खर्चों का एवं निजी आय के खाता 38700993866 संख्या से भुगतान का अनुमोदन** किया गया।

दिनांक 01.08.2024 द्वारा भुगतान राशि रू 15,000 भुगतान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

(5) **अतिथियों हेतु मेमेन्टो हेतुः–** भुगतान स्वीकृति आदेश कमांक 2432 दिनांक 01.08.2024 द्वारा भुगतान राशि रू 8400 भुगतान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

(6) **फूलों की सजावट की व्यवस्था हेतुः–** भुगतान स्वीकृति आदेश कमांक 2432 दिनांक 01.08.2024 द्वारा भुगतान राशि रू 9750 भुगतान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

(7) **स्टेशनरी आईटम की व्यवस्था हेतुः–** भुगतान स्वीकृति आदेश कमांक 2432 दिनांक 01.08.2024 द्वारा भुगतान राशि रू 9715 भुगतान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

(8) **कोकरी आईटम की व्यवस्था हेतुः–** भुगतान स्वीकृति आदेश कमांक 2432 दिनांक 01.08.2024 द्वारा भुगतान राशि रू 978 भुगतान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

(9) **अन्य विविध खर्चों हेतुः–** भुगतान स्वीकृति आदेश कमांक 1711 दिनांक 25.06.2024 द्वारा भुगतान राशि रू 680 एवं आदेश कमांक 2123 दिनांक 18.07.2024 द्वारा भुगतान राशि रू 9900 भुगतान और आदेश कमांक 2143 दिनांक 18.07.2024 द्वारा भुगतान राशि रू 5000, आदेश कमांक 2019 दिनांक 20.07.2024 द्वारा भुगतान राशि रू 2495, आदेश कमांक 2396 दिनांक 31.07.2024 द्वारा भुगतान राशि रू 4928, आदेश कमांक 2399 दिनांक 31.07.2024 द्वारा भुगतान राशि रू 2553, आदेश कमांक 2016 दिनांक 20.07.2024 द्वारा भुगतान राशि रू 2000 की गई।

(10) **सभागार आरक्षित करवाने हेतुः–** विश्वविद्यालय के चैक संख्या 201098 दिनांक 24.06.2024 द्वारा भुगतान राशि रू 47200 भुगतान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

(11) **पुलिस बैंड बुकिंग हेतुः–** विश्वविद्यालय के आदेश कमांक 1497 दिनांक 19.06.2024 एवं चैक संख्या 201098 दिनांक 24.06.2024 द्वारा भुगतान राशि रू 16125 भुगतान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

(12) **फ्लेक्स स्टैंडी, मफ्लर, लेपल पिन आदि उपलब्ध करवाने हेतुः–** भुगतान स्वीकृति आदेश कमांक 2829 दिनांक 23.08.

	2024 द्वारा भुगतान राशि रू 64080 भुगतान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। (13) फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी हेतु:– भुगतान स्वीकृति आदेश Under Process भुगतान राशि रू 19600 भुगतान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। (14) उददेशिका छपवाने हेतु :– भुगतान स्वीकृति आदेश कमांक 2829 दिनांक 23.08.2024 के द्वारा भुगतान राशि रू 2832 भुगतान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। अतः विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षान्त समारोह में विश्वविद्यालय द्वारा किया गया कुल व्यय राशि रू **3,23,851** विश्वविद्यालय द्वारा निजी आय **खाता संख्या 38700993866** से भुगतान किया गया है। निजी आय से किया गया भुगतान अतः इस हेतु RTPP Act 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार अपनाई गई उपापन प्रकिया अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	
7–9	**विश्वविद्यालय में कार्यरत डॉ.अश्विनी शर्मा को देय वेतन,एच.आर.ए. एवं सीसीए संबंधी आदेश का अनुमोदनः–** विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित डॉ.अशिवनी शर्मा, सहायक कुलसचिव को कार्यालय आदेश कमांक 697 दिनांक 13.05.2024 द्वारा देय वेतन का भुगतान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित डॉ.अशिवनी शर्मा, सहायक कुलसचिव को कार्यालय आदेश कमांक 418 दिनांक 29.04. 2024 द्वारा देय सीसीए का भुगतान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित डॉ. अश्विनी शर्मा, सहायक कुलसचिव को कार्यालय आदेश कमांक 428 दिनांक 29.04.2024 द्वारा देय मकान किराया भत्ता का भुगतान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से **विश्वविद्यालय में कार्यरत डॉ. अश्विनी शर्मा को देय वेतन ,एच. आर.ए.एवं सी.सी.ए. से संबंधी आदेश का अनुमोदन** किया गया।
7–10	**RSRDC कार्यकारी ऐजेंसी को वर्ष 2023–24 में किया गया भुगतानः–** (1) भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में कार्यालय आदेश कमांक 6765 दिनांक 29.02.2024 द्वारा हस्तांनान्तरित किये गये	वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से

	राशि रू 950 लाख़ एवं कार्यालय आदेश क्रमांक 7313 दिनांक 30.03.2024 द्वारा हस्तांनान्तरित किये गये राशि रू 950 लाख़ अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। अतः कार्यकारी ऐजेंसी RSRDC को वित्तीय वर्ष 2022–23 तक कुल 80.00 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में 19.00 करोड़ कुल अब तक 99.00 करोड़ हस्तानांतरित किये गये है जिनमें से केवल अंतिम किश्त को छोड़कर सभी उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यकारी ऐजेंसी से प्राप्त हो चुके है। हस्तान्तरित की गई किश्तें एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जो अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	विश्वविद्यालय द्वारा कार्यकारी एजेंसी आर.एस.आर.डी.सी को भवन निर्माण हेतु किए गए भुगतान एवं उपयेगिता प्रमाण पत्रों का अनुमोदन किया गया।
7–11	**विश्वविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों/अधिकारियों के समर्पित अवकाश के भुगतान आदेश का अनुमोदन :–** विश्वविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारीयों/अधिकारियों के समर्पित अवकाश के भिन्न–भिन्न भुगतान आदेश यथा– कार्यालय आदेश क्रमांक 478 दिनांक 29.04.2024, आदेश क्रमांक 707 दिनांक 15.05.2024, आदेश क्रमांक 2483 दिनांक 02.08.2024 एवं आदेश क्रमांक 2555 दिनांक 07.08.2024 अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों/अधिकारियों के समर्पित अवकाश से संबंधी आदेश का अनुमोदन किया गया।
7–12	**शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग से प्राप्त पत्र का अनुमोदनः–** शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग से प्राप्त पत्रांक प.13(18)उ.शि.ग्रुप–5/2003 जयपुर दिनांक 30.04.2024 की पालना में (ग्रुप–4) विभाग में कार्यरत श्री राकेश कुमार वर्मा, सेवानिवृत वरिष्ठ लेखाधिकारी को समेकित पारिश्रमिक के भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने संबंधी आदेश अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग से प्राप्त पत्र का अनुमोदन किया गया।
7–13	**विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारीयों को देय वेतन संबंधी आदेश का अनुमोदनः–** विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत डॉ. अश्विनी शर्मा, सहायक कुलसचिव एवं श्रीमती लाजवंती जोनवाल, सूचना सहायक को देय वेतन कार्यालय आदेश क्रमांक 697 दिनांक 13.05.2024 एवं आदेश	वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को देय

	क्रमांक 5577 दिनांक 04.11.2023 संबंधी आदेशों का अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	वेतन संबंधी आदेश का अनुमोदन किया गया।
7–14	**विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024–25 के लिए विभिन्न पाठ्य–योजनाओं में प्रवेश आवेदन शुल्क एवं शुल्क संरचना का निर्धारणः–** हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर के अधिनियम 2019 की धारा 5(1)व (2) में विहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धारा 7 (ञ) के अनुसरण में समन्वयक, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक, शैक्षणिक परिसर, एचजेयू के प्रस्तावानुरूप विद्या परिषद, वित्त समिति एवं प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 11(19) में कुलपति महोदय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शैक्षणिक सत्र 2024–25 के लिए विभिन्न पाठ्य–योजनाओं में प्रवेश आवेदन शुल्क एवं शुल्क संरचना का निर्धारण हेतु प्रसारित कार्यालय आदेश क्रमांक 993 दिनांक 04.06.2024 अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से **विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024–25 के लिए विभिन्न पाठ्य–योजनाओं में प्रवेश आवेदन शुल्क एवं शुल्क संरचना का अनुमोदन** किया गया।
7–15	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक अशैक्षणिक अधिकारी/कर्मचारियों की दिनांक 01.07.2024 को वार्षिक वेतन वृध्दि स्वीकृत की गई। आदेश अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति **से विश्वविद्यालय के शैक्षणिक अशैक्षणिक अधिकारी/कर्मचारियों को देय वेतन वृध्दि संबंधी आदेश का अनुमोदन** किया गया।
7–16	**विश्वविद्यालय में किये गये निविदाओं (मशीन विद मैन और प्रशासनिक एवं शैक्षणिक परिसर में साफ सफाई का कार्य) की प्रकिया एवं कार्यादेश का अनुमोदनः–** विश्वविद्यालय में की गई निविदा मशीन विद मैन के लिए मैसर्स गोपाल सिंह राठौड़ बी–136 लक्ष्मी वाटिका विजयपुरा, आगरा रोड़ जयपुर को कार्यालय आदेश क्रमांक 2854 दिनांक 28.08.2024 एवं की गई प्रकिया तथा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक परिसर में साफ सफाई का कार्य हेतु मैसर्स पिंक सिटी एंटरप्राइजेज, 201 जे.पी कॉलोनी, सेक्टर–4, विद्याधर नगर जयपुर को दिया गया कार्यालय आदेश क्रमांक 2865 दिनांक 28.08.2024 एवं की गई प्रकिया अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से **विश्वविद्यालय में किये गये निविदाओं (मशीन विद मैन और प्रशासनिक एवं शैक्षणिक परिसर में साफ सफाई का कार्य) की प्रकिया एवं कार्यादेश का अनुमोदन** किया गया।

7–17	**विश्वविद्यालय में वाहन चालकों से अनुबंध पर वाहन मय चालक लेने एवं उससे संबंधी आदेशः–** राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में विश्वविद्यालय में वाहन चालकों से अनुबंध पर वाहन मय चालक लेने का कार्यालय आदेश क्रमांक 1878 दिनांक 28.06.2024 एवं आदेश क्रमांक 1883 दिनांक 28.06.2024 अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है–	वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से **विश्वविद्यालय में वाहन चालकों से अनुबंध पर वाहन मय चालक लेने एवं उससे संबंधी का** अनुमोदन किया गया।
7–18	**मीडिया जगत के विषय विशेषज्ञों के अन्तर कियात्मक सत्र करवाये जाने संबंधी आदेशः–** अकादमिक सत्र (2023–24) के सम–सैमेस्टर में विद्यार्थियों के लिए मीडिया जगत के विषया विशेषज्ञों के अन्तर कियात्मक सत्र (इंटेरेक्टिव सेशंन) करवाये जाने की तथा इस हेतु आमंत्रित व्यक्तियों को उनकी विषया विशेषज्ञता के आधार पर 1000/– रूपये प्रति सत्र (एक घंटा) मानदेय का भुगतान संबंधी आदेश अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है–	वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से **मीडिया जगत के विषय विशेषज्ञों के अन्तर कियात्मक सत्र करवाये जाने संबंधी आदेश का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया** गया।
7–19	**(1) हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर की वित्त समिति की बैठक दिनांक 13.09.2023 के कार्यवृत क.स. 6–15 (2) के संबंध में पुनरीक्षण/संशोधन का प्रस्ताव–** <u>व्याख्यात्मक टिप्पणीः–</u> (i) हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर में परीक्षा संबंधी मानदेय एवं पारिश्रमिक निर्धारण हेतु जारी आदेश कमांक 1459 दिनांक 16.01.2020 एवं 9195 दिनांक 10.08. 2021 में परीक्षा, 2023 के संबंध में संशोधन विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्ताव वित्त समिति की बैठक दिनांक 13.09.2023 के एजेंडा क.स. 6–15 (2) पर निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया था। (अ) विश्वविद्यालय की बी.ए.–जेएमसी परीक्षा में लघुशोध प्रबंध के पठन तथा इसकी मौखिक परीक्षा के लिए मानदेय निर्धारित किया जाना। (ब) एम ए जेएमसी के लिए निर्धारित मानदेय सत्र 2023–24 से कमशः एमए पाठययोजनाओं के लिए भी प्रभावी होगा। (स) परीक्षा में केन्द्र अधीक्षक आदि परीक्षा कार्यों से जुडे कार्मिकों के	वित्त समिति द्वारा उक्त प्रकरण को BOM में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

मानदेय में अभीवृध्दि किया जाना।

उक्त तीनों बिन्दुओं पर क्रमशः पुनरीक्षण/संशोधन हेतु टिप्पणी अवलोनीय हैः

(अ) विश्वविद्यालय में परीक्षा संबंधी मानदेय/परीश्रमिक निर्धारण हेतु जारी आदेश क्रमांक 1549 दिनांक 16.01.2020 (संलग्न–1) एवं क्रमांक 9195 दिनांक 10.08.2021 (संलग्न–2) में एमए–जेएमसी परीक्षा में Thesis/Dissertation के मूल्यांकन हेतु मानदेय निर्धारित है, किन्तु बीए–जेएमसी परीक्षा में Dissertatio (लघु–शोध प्रबंध) के मूल्यांकन हेतु मानदेय निर्धारण नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त निर्धारण राजभवन के पत्रांक 6462 दिनांक 21.08.2017 (संलग्न–3) के आधार पर किया गया था, जिसमें ग्रेजुएशन स्तर पर लघु–शोध प्रबंध मूल्यांकन के मानदेय का कोई उल्लेख नहीं था। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में भी ग्रेजुएशन स्तर पर ऐसा मानदेय तय नही है।

विश्वविद्यालय में संचालित बीए–जेएमसी पाठ्योजना के छठे सैमेस्टर में लघु–शोध प्रबंध का प्रशन पत्र है, जिसकी पहली बार परीक्षा जुलाई 2023 में सपन्न हुई । अतः बीए–जेएमसी परीक्षा में Dissertation के मूल्यांकन (उसके पठन एवं मौखिक परीक्षा) का मानदेय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाना है राजभवन में बीए–जेएमसी परीक्षा में उक्त मानदेय एमए–जेएमसी परीक्षा के 2:3 के यथासंभव अनुपात में निम्नानुसार निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है, क्योंकि बीए–जेएमसी में प्रतिउतर पुस्तिका मूल्यांकन का मानदेय रू 20/– है तथा एमए–जेएमसी में रू 30/– हैः

		MA-JMC	BA-JMC (Proposed)
A	For reading the Thesis/Dissertation	Rs. 300/- (with a minimum of Rs. 900/- to each examiner)	Rs. 200/- (with a minimum of Rs. 600/- to each examiner)
B	For Conducting the Viva -voice test on the Thesis/Dissertation	Rs. 25/- (with a minimum of Rs. 900/- to each examiner)	Rs. 15/- (with a minimum of Rs. 600/- to each examiner)

Project for the above Examination,per candidate			

उल्लेखनीय है कि उक्त प्रस्ताव का वित्त समिति की षष्ठम् बैठक दिनांक 12.09.2023 द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया था। साथ ही, यह भी अंकित किया गया कि पूर्व में भी इस प्रकार के आदेश राजभवन से निकलते रहे हैं, अतः इसे प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन पश्चात स्वकृति/अनुमोदन हेतु राजभवन को भिजवाने का निर्णय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया है। किन्तु उक्त निर्णय के पुनरीक्षण के आग्रह के साथ उक्त प्रकरण में यह उल्लेख किया जाना उचित प्रतीत होता है कि राजभवन द्वारा इस संदर्भ में नियमित तौर पर आदेश जारी नही किये जाते है अपितु आदर्शक रूप में वर्ष 2017 में इस प्रकार के आदेश जारी हुए है तथा यथा आवशकता अन्य विश्वविद्यालयों (राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर) द्वारा स्वयं के स्तर पर आदेश (मानदेय वृद्धि आदि से संबंधित) जारी किए जाते रहे है (संलग्नक–4)। अतः इस प्रस्ताव का पुनरीक्षण/संशोधन कर बोर्ड के अनुमोदन की स्थिति में राजभवन भिजवाने के निर्णय को निराकृत किया जाना प्रस्तावित है।

(ब) वित्त समिति की षष्ठम बैठक दिनांक 13.09.2023 के सम्मुख एमए–जेएमसी के लिए निर्धारित मानदेय को एमए के लिए प्रभावी मानने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया था। उक्त निर्णय में पुनरीक्षण के आग्रह के साथ उल्लेखनीय है कि सत्र 2023–24 से बीए–जेएमसी (ऑनर्स) पाठ्ययोजना भी प्रारम्भ की गई है। अतः आदेशों में जहाँ–जहाँ बीए– जेएमसी का उल्लेख है उसे बीए–जेएमसी (ऑनर्स) के लिए तथा एमए–जेएमसी को एमए के लिए भूतलक्षी प्रभाव से माना जाना प्रस्तावित है।

(स) मानदेय निर्धारण के उक्त आदेशों के परिशिष्ठ–'क' में केन्द्रअधीक्षक आदि परीक्षा कार्यो से जुड़े कार्मिकों के मानदेय निर्धारित किये गये हैं। इस संदर्भ में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने अपने कार्यालय आदेश कमांक 1199–1206 दिनांक

02.08.2023 द्वारा उपर्युक्त मानदेयों में अभिवृद्धि की है। चूंकि यह विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय के अनुरूप कार्य करता रहा है, उक्त दरों में अभिवृद्धि भी तद्नुसार प्रस्तावित की गई थी।

उल्लेखनीय है कि उक्त प्रस्ताव वित्त समिति कीषष्ठम बैठक दिनांक 13.09.2023 का द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही, चूंकि पूर्व में भी इस प्रकार के आदेश राजभवन से निकलते रहे है। अतः इसे प्रबंध बोर्ड के अनुमोदन पश्चात स्वीकृति अनुमोदन हेतु राजभवन को भिजवाने का निर्णय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया है।

किन्तु उक्त निर्णय के पुनरीक्षण के आग्रह के साथ उक्त प्रकरण में यह उल्लेख किया जाना उचित प्रतीत होता है कि राजभवन द्वारा इस संदर्भ में नियमित तौर पर आदेश जारी नही किए जाते हैं अपितु आदर्शक रूप में वर्ष 2017 में इस प्रकार के आदेश जारी हुए है तथा यथा आवश्यकता अन्य विश्वविद्यालयों (राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर) द्वारा स्वयं के स्तर पर आदेश (मानदेय वृद्धि आदि से संबंधित) जारी किए जाते रहे है (संलग्नक–4)। अतः इस प्रस्ताव का पुनरीक्षण/संशोधन कर बोर्ड के अनुमोदन की स्थिति में राजभवन भिजवाने के निर्णय को निराकृत किया जाना प्रस्तावित है।

राजीव गांधी विद्याभवन
सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग
जयपुर 302 017 (राजस्थान)

Rajiv Gandhi Vidya Bhawan
Sarvepalli Radhakrishnan Shiksha Sankul
JLN Marg, Jaipur 302 017 (Rajasthan), India

+91 141 2710123 | registrar.hju@gmail.com | www.hju.ac.in

7–20	एचजेयू–पीएटी, 2024 में बहुविकल्पी प्रश्नों के निर्माण व उत्तर तैयार करने के पारिश्रमिक एवं अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नों/उत्तरों पर आपत्ति करने का शुल्क निर्धारित करने संबंधी आदेश कमांक 595 दिनांक 04.05.2024 तथा प्रश्नों पर आपत्तियों के निस्तारण एवं उत्तर कुंजियों के प्रमाणीकरण हेतु विषय–विशेषज्ञों के मानदेय निर्धारण हेतु जारी आदेश कमांक 607 दिनांक 04.05.2024 सदन की पुष्टि हेतु प्रतिवेदित है।	वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से एचजेयू–पीएटी, 2024 में बहुविकल्पी प्रश्नों के निर्माण व उत्तर तैयार करने के पारिश्रमिक एवं अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नों/उत्तरों पर आपत्ति करने का शुल्क निर्धारित करने संबंधी आदेश कमांक 595 दिनांक 04.05.2024 तथा प्रश्नों पर आपत्तियों के निस्तारण एवं उत्तर कुंजियों के प्रमाणीकरण हेतु विषय–विशेषज्ञों के मानदेय निर्धारण हेतु जारी आदेश कमांक 607 दिनांक 04.05.2024 सदन की पुष्टि एवं अनुमोदन किया गया।
7–21	**विश्वविद्यालय में किराये के वाहनों हेतु अधिकतम सीमा बढवाने जाने हेतु अनुमोदनः–** विश्वविद्यालय शीघ्र ही नवीन भवन दहमी कलां बगरू में हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावति है एवं विश्वविद्यालय के अधिकारियों को प्रशासनिक कार्य से जयपुर शहर (सचिवालय) में आना रहेगा जिसकी दूरी लगभग 35 कि.मी है। अतः विश्विद्यालय की अधिकतम सीमा 1500 कि.मी तक की मिली हुई है जिसको बढा कर 2500 कि. मी किये जाने हेतु राज्य सरकार को पत्र लिखे जाने हेतु चर्चा एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से **विश्वविद्यालय में किराये के वाहनों हेतु अधिकतम सीमा बढवाने जाने हेतु प्रस्ताव का** अनुमोदन किया गया।
7–22	**विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक एवं उप कुलसचिव की प्रतिनियुक्ति विस्तारित करने संबंधी आदेश का अनुमोदनः–** विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक के रूप में कार्यरत प्रो. आलोक कुमार श्रीवास्तव की इस विश्वविद्यालय में आदेश कमांक 40 दिनांक 01.08.2019 के द्वारा की गई थी जिसको विस्तार करने हेतु	वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से **विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक एवं उप कुलसचिव की प्रतिनियुक्ति विस्तारित करने**

	विश्वविद्यालय के आदेश कमांक 2878 दिनांक 29.08.2024 अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। विश्वविद्यालय में उपकुलसचिव के रूप कार्यरत डॉ. नीलम उपाध्याय की इस विश्वविद्यालय में आदेश कमांक 4267 दिनांक 06.09.2019 के द्वारा की गई थी जिसको विस्तार करने हेतु विश्वविद्यालय के आदेश कमांक 3155 दिनांक 12.09.2024 अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	संबंधी आदेश का अनुमोदन किया गया।
7–23	**विश्वविद्यालय में नवपदस्थापित कनिष्ठ विधि अधिकारी से संबंधी आदेश का अनुमोदनः–** विश्वविद्यालय में नवपदस्थापित कनिष्ठ विधि अधिकारी द्वारा विधि एवं विधिक कार्य विभाग की आज्ञा कमांक प.22(16)न्याय/2022 दिनांक 29.06.2024 के अनुसरण में दिनांक 01.07.2024 को इस विश्वविद्यालय में कार्यग्रहण किया गया, जिसको प्रोबेशनकाल में राज्य सरकार के आदेश अनुसार Fix वेतन (23700) दिया जाना है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुस्त है।	वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से **विश्वविद्यालय में नवपदस्थापित कनिष्ठ विधि अधिकारी से संबंधी आदेश का अनुमोदन** किया गया।
7–24	विश्वविद्यालय में विद्यासंबल योजना अन्तर्गत शिक्षण सहयोग हेतु शिक्षकों का राज्य सरकार की गाइडलाइन दिनांक 30.03.2021 एवं विभागीय आदेश 28.11.2022 के अध्ययधीन वर्तमान सत्र 2023–24 के लिए सूचीबंध आदेश 1091 दिनांक 07.06.2024 के आदेश अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से **विश्वविद्यालय में विद्यासंबल योजना अन्तर्गत शिक्षण सहयोग हेतु शिक्षकों का राज्य सरकार की गाइडलाइन दिनांक 30.03.2021 एवं विभागीय आदेश 28.11.2022 के अध्ययधीन वर्तमान सत्र 2023–24 के लिए सूचीबंध आदेश 1091 दिनांक 07.06.2024 के आदेश** का अनुमोदन किया गया।
7–25	<u>(1)पटल कार्यसूची(टेबल एजेंडा)</u> विश्वविद्यालय की अर्जित आय में से अधिशेष निधियॉ ब्याज सहित पी. डी. खाता संख्या 6769 में हस्तानान्तरित किये जाने बाबत के निर्णयार्थः– स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के एफ.9(क)01/एल.ए/ एच.ओ. /अग्रिम/2019–20 में प्रदत्त दिशा निर्देश के कम में अतिरिक्त मुख्य	अध्यक्ष महोदया के निर्देशानुसार एवं अनुमति से समिति के समक्ष टेबल ऐजेंडा रखा गया। समिति द्वारा इस पर विचार

	सचिव, वित्त विभाग के परिपत्र प.12 (3)वि.मा./2017 दिनांक 11.01.2018 एवं क्रमांक प.15(5)वि.मा./2012 दिनांक 02.07.2018 के अनुसार अधिशेष निधियां ब्याज सहित पी.डी. खातें में विनियोजन किये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के छात्रों से प्राप्त फीस, संबंध शुल्क व अन्य गतिविधि से प्राप्त आय विश्वविद्यालय के बैंक खातें में प्राप्त हो रही है। :–जिसकी ब्याज तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। :–आहरण एवं जमा प्रकिया सरल है। :–संबंधित बैंक विश्वविद्यालय के परिसर के निकट ही स्थित है। उक्त तथ्यों के दृष्टिगत अर्जित आय की अधिशेष निधियो को वित्त विभाग के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के ब्याज सहित पी.डी. खाता संख्या 6769 में विनियोजन किये जाने के कम में वित्त समिति के निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	विमर्श किया गया तथा इस हेतु पूर्व की बैकिंग व्यवस्था ही जारी रखने का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
7–26	<u>(2)पटल कार्यसूची(टेबल एजेंडा)</u> **मीडिया जगत के विषय विशेषज्ञों के अन्तर कियात्मक सत्र करवाये जाने संबंधी आदेशः–** अकादमिक सत्र (2024–25) के सम–सैमेस्टर में विद्यार्थियों के लिए मीडिया जगत के विषय विशेषज्ञों के अन्तर कियात्मक सत्र (इंटेरेक्टिव सेशंन) करवाये जाने की तथा इस हेतु आमंत्रित व्यक्तियों को उनकी विषय विशेषज्ञता के आधार पर 1000/– रूपयें प्रति सत्र (एक घंटा) मानदेय का भुगतान संबंधी प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	अध्यक्ष महोदया के निर्देशानुसार एवं अनुमति से समिति के समक्ष टेबल ऐजेंडा रखा गया। समिति द्वारा इस पर विचार विमर्श किया गया विश्वविद्यालय की विशिष्टता को देखते हुए यह किया जान आवश्यक प्रतित होता है। अतः प्रबंध मंडल से अनुमोदन पश्चात उक्त प्रस्ताव सहमति/स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।
7–27	<u>(3)पटल कार्यसूची(टेबल एजेंडा)</u> विश्वविद्यालय में विद्यासंबल योजना अन्तर्गत शिक्षण सहयोग हेतु शिक्षकों का राज्य सरकार की गाइडलाइन, राज्य सरकार के आदेशों के अनुसरण में वर्तमान सत्र 2024–25 के लिए सूचीबंध किये जाने की पूर्वानुमति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।	अध्यक्ष महोदया के निर्देशानुसार एवं अनुमति से समिति के समक्ष टेबल ऐजेंडा रखा गया। समिति द्वारा इस पर विचार

		विमर्श किया गया तथा इस हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

अंत में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

26/9/24
(डॉ.सत्येन्द्र बसवाल)
वित्त नियंत्रक एवं सदस्य सचिव
एच.जे.यू., जयपुर

सुधि राजीव
(प्रो.सुधि राजीव)
कुलपति महोदया, अध्यक्ष–वित समिति
एच.जे.यू., जयपुर

राजीव गांधी विद्याभवन
सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग
जयपुर 302 017 (राजस्थान)

Rajiv Gandhi Vidya Bhawan
Sarvepalli Radhakrishnan Shiksha Sankul
JLN Marg, Jaipur 302 017 (Rajasthan), India

+91 141 2710123 | registrar.hju@gmail.com | www.hju.ac.in